trally sponsored scheme on National Programme on Unproved Chulhas is being implemented in all the States/U.Ts including in the State of Arunachal Pradesh. Nearly 16,000 Improved Chulhas have already been installed in the State of Arunachal Pradesh so far.

(b) The Allocation of funds under the above programme is based on approved rates and norms. During 1993-94, a sum of Rs. 1.44 lakhs has been released to the State of Arunachal Pradesh as first instalment for the programme for target of 5,000 Chulhas.

(c) and (d) Strategies such as active Involvement of users. Non Governmental Organisation, Self Employed Workers; Market promotion measures; publicity and awareness campaigns etc. have been adopted under the above programme during 1993-94 for wider extension to remote areas and villages.

**Under Utilisation of Solar Energy**

2217. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Comptroller and Auditor General of India in a recent report about utilisation of non-conventional sources of energy particularly the Solar Energy, pointed to the grave under. utilisation of solar energy in street lighting, domestic lighting, working of water pumps etc. in West Bengal and other States;

(b) if so, what was the extent of under-utilisation of solar energy, in various modes, pointed out by CAG; and

(c) what steps have been and are being taken to monitor the use of solar energy equipments and do ensure fuller utilisation of Solar Energy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTTONAL ENERGY SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) As per the recent report of the Comptroller and Auditor General of India, the average failure rates of solar photovoltaic street lighting, domestic lighting and water pumping systems ranged from 33 to 100 percent, 25 to 94 percent and 41 to 100 percent respectively. The under-utilisation of the systems varies from State to Stale and is stated to be due to the lack of proper maintenance, improper site selection, overstocking of systems, keeping equipments/ systems idle and lack of monitoring.

(c) The steps taken to ensure fuller utilisation of solar photovoltaic systems includes stress on proper maintenance and security of the systems by the implementing State agencies/beneficiaries, rectification of the non-functional systems and expenditious installation of the over-stocked systems. A budget provision of Rs. 1 crore during 1993-94 has been made for training, repairs and maintenance of these solar photovoltaic systems. In addition, the implementation of the programme has been given a new orientation, involving market oriented schemes and socially oriented schemes. Stress is now being given on the procurement of the complete systems from one source, rather than components from different sources by the State Agencies to ensure proper maintenance and after sales service.

**गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए राज्यों को राज-सहायता**

2218. श्री महेश्वर सिंह :
श्री रत्न बहादुर राय:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन का निर्णय लिया है; यदि हां,तो क्या सरकार राज्य क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन करने वाली राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत राज-सहायता प्रदान करेगी;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्यों से कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब-कब और सरकार ने अब तक उन पर क्या कार्यवाही की है ?

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्यमंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त भार (श्री एस० कृष्णा कुमार) : (क) और (ख) सरकार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ग्रिड किस्म के विद्युत के उत्पादन पर विशेष बल दे रही है । नई नीति और कार्य योजना का उद्देश्य पवन, ग्रल विद्युत और अन्य स्रोतों के माध्यम से लगभग 2000 मेगा विद्युत का उत्पादन करना है । 3 मेगा तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निजी, सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्रों में परियोजनाओं की श्रेणी पर निर्भर करते हुए निर्माण कार्यों और अन्य विद्युत उपकरणों की स्वीकार्य पूंजीगत लागत की 50 प्रतिशत तक

वार्षिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । पवन फार्म प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए निर्माण, कमीशनिंग और ग्रेयर सहित पवन विद्युत जनित्रों की सम्पूर्ण लागत का 60 प्रतिशत अनुदान सहायता राज्य नोडल एजेंसियों अथवा राज्य विद्युत बोर्डों को उपलब्ध कराई जाती है ।

(ग) और (घ) इस योजना के अंतर्गत 112 मेगा वाट तक कि समग्र क्षमता की लघु अंश विद्युत और पवन फार्म परियोजनाओं को पहले ही मदद दी जा रही है । प्रस्तावों का प्राप्त होना और उनका अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें उनकी तकनीकी-वार्षिक व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए परियोजनाओं को समय-समय पर अनापत्ति दी जाती रहती है ।

**Encashment of half pay leave**

2219. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Board of Arbitration has in a recent decision awarded the benefits of cash ment of half pay leave to the Central Government employees in superannuation with effect from the 14th June, 1982;

(b) if so, the number of beneficiaries out of the total applications received to get this benefit;

(c) whether there is any particular category which is debarred from the benefits of the award; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINIS TER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS) (SMT. MARGARET ALVA) : (a) to (d) The benefit of encashment of half pay leave has been extended to Central Government employees who retired on superannuation w.e.f. I4th July, 1982 onwards strictly on the basis of Award of Arbitration. No Centralised list of beneficiaries is maintained in this regard.

**केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए अनुमति**

2220. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कोई भी जांच करने से पूर्व संबंधित मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कितने मामलों में स्वीकृति ली गई और कितने मामलों में स्वीकृति कुछ माह पश्चात् दी गई; और

(घ) सरकार इस परिपाटी को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । फिर भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विशेष स्तर तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज करने से पहले अपनाई जाने वाली क्रियाविधि कतिपय अनुदेशों द्वारा शासित होती है जिसमें यह निर्धारित है कि संयुक्त सचिव (या समकक्ष पद) या उससे ऊपर के स्तर के पद के मामले में संबंधित विभाग/मंत्रालय के सचिव से पूर्व परामर्श किया जाना चाहिए ।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 1988 से 1993 (जून 1993) तक 63 मामलों में मंत्रालय/विभाग से सहमति ली गई थी । 22 मामलों में सहमति 6 महीनों के बाद दी गई ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप**

2221. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्यप्रदेश में लोक आयुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण के संबंध में न्यायालयों में चालान तैयार करने के लिए सरकार की अनुमति के वास्ते लम्बित पड़े मामलों की संख्या कितनी है और ये मामले कब से लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन मामलों का विभाग-वार और संबंधित अधिकारी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में से कितने मामलों में दिसम्बर 1992 से जून 1993 के दौरान अनुमति प्रदान की गई और शेष मामलों में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।